

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 2(8)खा.वि./स्था.प्र./2001 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक 09.09.2021

आदेश

“दी राजस्थान फूड एण्ड सिविल सप्लाइज सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1974” के भाग-V के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 03.09.2021 की अनुशंषा पर निम्नांकित प्रवर्तन निरीक्षकों को वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर “वरिष्ठता एवं योग्यता” के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क.सं.	नाम कार्मिक	रिक्ति तिथि
1	श्रीमती सुनीता मीणा (ST)	01.04.2016
2	श्रीमती रेखा खींची (SC)	01.12.2016

उपरोक्त कार्मिक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पद पर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे तथा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट विभाग को भिजवायेंगे। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, माननीय राज्य खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, संयुक्त सचिव (जी.बी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी करौली/अलवर।
- 7 संबंधित प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती सुनीता मीणा/रेखा खींची द्वारा जिला रसद अधिकारी, करौली/अलवर।
- 8 प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को ई मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
- 9 निजी पत्रावली संबंधित कार्मिक।
- 10 विभागीय गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जाँच।
- 11 रक्षित पत्रावली।

सहायक आयुक्त (खाद्य)